UPMT010012792026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित– विकास कुमार–I, उच्चतर न्यायिक सेवा
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–566/2026
पिंकी प्रति उत्तर प्रदेश राज्य
आदेश

मुकदमा अपराध संख्या–303/2025, धारा 108 भारतीय न्याय संहिता, थाना सुरीर, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदिका/अभियुक्ता **पिंकी** की ओर से स्वयं को जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– इस प्रकरण के संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार वादी हरस्वरूप को दिनांक 01.12.2025 समय करीब रात के 12 बजे पता चला कि उसके छोटे भाई सूरज ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है, जिसको उपचार के लिए आगरा एस०एन० हास्पीटल ले गये, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और शव का पोस्टमार्टम कराकर उनके सुपुर्द कर दिया, जिसे लाकर दिनांक 02.12.2025 को उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वादी द्वारा दिनांक 04.12.2025 को अपने छोटे भाई का फोन चलाया तो उसमें सूरज के द्वारा रिकॉर्ड कुछ वीडियो दिखाई दी, जिसमें वह बता रहा है कि गांव के जीतू, पिंकी व रिंकू उसे फोन पर झूंठे बलात्कार के मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर एक लाख रूपये की मांग करते थे। ये लोग काफी दिन से उसके भाई को बार–बार फोन करके परेशान कर रहे थे, जान से मारने की धमकी देते थे जिससे उसका भाई भयभीत था और मानसिक रूप से काफी परेशान था। इन लोगों ने उसके भाई को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी सारी वीडियो उसके मोबाइल में मौजूद है।

वादी की उक्त आशय की तहरीर के आधार पर उक्त मुकदमा अभियुक्तगण जीतू, पिंकी व रिंकू के विरूद्ध पंजीकृत किया गया।

3– जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

4– आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र द्वारा खगेश पर बल देते हुए मुख्यतः कथन/तर्क किए गए हैं कि वह निर्दोष है, उसे पार्टीबंदी के आधार पर झूंठा फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह उसका प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, पूर्व में इस न्यायालय में नहीं लगाया, न खारिज हुआ। घटना दिनांक 01.12.2025 की रात्रि 12 बजे की दिखायी गयी है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 12.12.2025 में हुई है। तहरीर भी दिनांक 12.12.2025 को थाने में दी गयी है। उसको षडयंत्र करके झूंठा फंसाया गया है। घटना का कोई गवाह नहीं है, न किसी ने घटना देखी है, केवल संभावना के आधार पर झूंठा फंसाया गया है। उसने किसी प्रकार की कोई धमकी मृतक सूरज को नहीं दी थी, न किसी केस में फंसाने की धमकी दी थी, केवल मनगढ़न्त आरोप लगाकर फंसाया गया है। कथित वीडियो मृतक के मोबाइल में दिखायी बतायी गयी है। वीडियो में छेडछाड़ कर तथा ए०आई० तकनीकी के आधार से झूंठी बनायी गयी है। वास्तव में ऐसा कोई वीडियो नहीं है। आवेदक /अभियुक्त व सह अभियुक्तों के नाम पूर्व में कोई प्रार्थनापत्र मृतक व मृतक के परिवारीजन के द्वारा किसी प्रकार का प्रार्थनापत्र पुलिस में या किसी उच्च अधिकारियों को नहीं दिया गया था। मृतक को इलाज के लिए आगरा ले जाया गया, प्रथम सूचना रिपोर्ट में दिखाया है। मृत्यु पूर्व कोई ब्यान मृतक ने नहीं दिया था, न किसी पुलिस अधिकारी को बयान दिया था। अतः उसे दौरान मुकदमा जमानत प्रदान की जाय।

प्रतिवाद में अभियोजन/वादी पक्ष की ओर से तर्क दिये गये हैं कि मृतक के मोबाइल से प्राप्त वीडियों में उसने आवेदिका /अभियुक्ता व सह अभियुक्तगण द्वारा झूंठे बलात्कार के मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर एक लाख रूपये की मांग करते हुए मृतक को बार–बार

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.18 16:57:33 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

फोन करके परेशान करना बताया है। मृतक द्वारा आवेदिका/अभियुक्ता व सह अभियुक्तगण के परेशान किये जाने पर ही आत्महत्या की गयी है। केस डायरी में उक्त वीडियो का उल्लेख किया गया है। आवेदिका/अभियुक्ता की वादी पक्ष से कोई रंजिशन नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता को झूंठा फंसाये जाने का कोई कारण नहीं है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। तदनुसार आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाये।

5– प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका/अभियुक्ता द्वारा सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी के भाई सूरज को फोन पर झूंठे बलात्कार के मुकदमें में फंसाने की धमकी देकर एक लाख रूपये की मांग कर परेशान करना, जिसके कारण सूरज द्वारा विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर लेना आदि आक्षेपित है।

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा इस तथ्य का उल्लेख केस डायरी के पर्चा संख्या 2 में किया गया है कि मृतक सूरज के द्वारा प्रयुक्त मोबाइल की गेलरी में दो वीडियो हैं जिसमें एक दिसम्बर की वीडियो में मृतक एक पुडिया खोलकर दिखा रहा है, जिसमें एक सेल्फॉस का पैकेट है तथा एक वीडियो दो दिसम्बर की है, जिसमें वह कह रहा है कि जीतू, पिंकू व रिंकू के द्वारा उसे परेशान किया जा रहा है तथा उसे झूंठे मुकदमें में फंसाने की धमकी दी जा रही है तथा उससे एक लाख रूपये की मांग की जा रही है।

मृतक सूरज द्वारा स्वयं अपनी इच्छा से आत्महत्या की गई अथवा उसे अभियुक्त पक्ष द्वारा आत्महत्या हेतु उकसाया गया है, यह तथ्य साक्ष्य की विषयवस्तु है।

आवेदिका/अभियुक्ता प्राथमिकी में स्पष्टतः नामित है। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है। आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदिका/अभियुक्ता **पिंकी** को जमानत प्रदान किए जाने का कोई न्यायोचित आधार प्रतीत नहीं होता है।

निष्कर्षतः जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–17.03.2026

(विकास कुमार–।)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा
आई०डी०क्रमांक–1910

खेम सिंह, पी०एस०